कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक :– टीसीबी/ 2021/ 01 दिनांक :– 18/01/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2021 को प्रातः 11.00 बजे श्री कमर उल जमान चौधरी आई.ए.एस. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य/ अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विस्तृत विचार विमर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव सं. 1 :– गत बैठक दिनांक 16.01.2020 की बैठक कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों की विभागवार पालना रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमे निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये –

- बस ठहराव स्थल चिन्हित करने एवं प्राईवेट बस कैरिज एवं स्टेज कैरिज बसों के अस्थायी ठहराव स्थल चिन्हित करने के सम्बन्ध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपायुक्त पुलिस यातायात, उपायुक्त (मुख्यालय) जोविप्रा, एवं उपायुक्त नगर निगम जोधपुर को निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से मौका भ्रमण कर उपयुक्त स्थल चिन्हित करे तथा उक्त चिन्हित स्थलो तक नगरीय बस सेवा का भी विस्तार हो । यदि उक्त स्थल की भूमि राजकीय हो तो नगर निगम अथवा प्राधिकरण स्थल को विकसित कर निजी ऑपरेटर्स से नियत शुल्क वसूल कर संस्था की आय में वृद्धि भी कर सकती है ।

  निजी ऑपरेटर्स से बातचीत कर शहर में विभिन्न स्थलों पर बसों के एक से दो मिनिट ठहराव के सम्बन्ध में चर्चा कर उतार/चढाव स्थल चिन्हित करें ताकि यात्रियो के आवागमन में सुविधा हो तथा यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे । उक्त कार्य कर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर रिपोर्ट आगामी एक माह में प्रस्तुत करें ।
- उपायुक्त नगर निगम को वेडिंग एवं नोन वेडिंग जोन के निर्धारण से सम्बन्धित सूची उपायुक्त पुलिस यातायात को अतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया । उपायुक्त पुलिस यातायात को नो–वेडिंग जोन में निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- बासनी औद्योगिक क्षेत्र से लिंक रोड पर बाईपास व झालामण्ड चौराहा के पास वाहनो की गति सीमा नियंत्रित करने के लिए जेब्रा लाईनिंग करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया।
- भदवासिया पुलिया के शुरू होने से करीब 15–20 मीटर पहले लगे दिशा सूचक संकेतक का भदवासिया पुलिया के शुरूआत में दोनो सडको के

मध्य डिवाईडर पर दिशा सूचक संकेतक लगाने हेतु निदेशक अभियांत्रिकी जोधपुर दिकास प्राधिकरण को अविलम्ब कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया।

- शहर के विभिन्न स्थलो पर दिशा सूचक बोर्ड लगवाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त पुलिस, यातायात को सम्पूर्ण सूची सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया तथा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्त दिशा सूचक बोर्ड अविलम्ब लगवाना सुनिश्चित करें ।
- उपायुक्त पुलिस, यातायात व नगर निगम जोधपुर को मण्डोर उधान के सामने अनाधिकृत रूप से खडे ठेला चालकों को हटाने के निर्देश प्रदत किये गये तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर को उक्त क्षेत्र में वाहनों की सुगम एवं सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- अध्यक्ष महांदय ने सम्बन्धित विभागों द्वारा गत बैठक में पारित निर्णयों की विभागवार पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर खेद व्यक्त किया तथा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उक्त पालना रिपोर्ट आगामी 15 दिवस में पेश करें ।

अतः उक्तानुसार गत बैठक दिनांक 16.01.2020 की बैठक कार्यवाही विवरण में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया ।

<u>प्रस्ताव सं. 2</u> :— जोधपुर शहर के समग्र मोबिलिटी प्लान के ड्राफ्ट तैयारी पर चर्चा—

निर्णय :— डी.बी. रिट अवमानना संख्या 371/2016 रवि लोढा बनाम सी.एस. राजन व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय नें यातायात नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना में जोधपुर शहर के यातायात प्रबंधन हेतु समग्र मोबिलिटी प्लान तैयार करने हेतु यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, नगर निगम तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों से विचार विमर्श कर प्राधिकरण स्तर पर समग्र मोबिलिटी प्लान का दस्तावेज तैयार किया गया है। जिसकी प्रति बैठक में उपस्थित सभी विभागीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त दस्तावेज में सम्मिलित तथ्यो, आंकडो, सूचनाओं तथा विवरणों का विभागीय परीक्षण करवाते हुए समग्र मोबिलिटी प्लान के सम्बन्ध में विभागीय आंकड़े/राय/सुझाव/मार्गदर्शन आगामी 7 दिवस में लिखित रूप से पेश करें ताकि जोधपुर शहर के समग्र मोबिलिटी प्लान को तैयार किया जाकर इसके ड्राफ्ट का नियत समयावधि में प्रकाशन किया जा सकें। उक्त कॉम्प्रीहेन्सींव मोबिलिटी प्लान (ड्राफ्ट) का प्रकाशन किया जाकर प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन के सुझावों/राय एवं आपतियों हेतु अपलोड किया जावें ।

प्रस्ताव सं. 3 :– कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा।

1. यातायात सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के बोर्ड लगवाने बाबत् ।

निर्णय :– जोधपुर शहर नें व्यवस्थित यातायात के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर ऑटो रिक्शा/लोडिंग टैक्सी, कार–जीप टैक्सी स्टेण्ड, पार्किंग/नो–पार्किंग स्थल, गति सीमा एवं विभिन्न यातायात निर्देशों एवं सूचनाओं के संकेतक बोर्ड लगाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्त दिशा सूचक बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व पेश करें।

2. त्रिपोलिया बाजार गोविन्दा बावडी के पास स्थित ऑटो रिक्शा स्टेण्ड के क्रम में ।

निर्णय :– त्रिपोलिया बाजार गोविन्दा बावड़ी के पास 5 ऑटो रिक्शा सवारी की पार्किंग अधिसूचित की हुई है, जिसे वर्तमान में बढ़ती आबादी, यातायात व्यवधान एवं जगह के अभाव में इस स्थान से हटाया जाने के प्रस्ताव के क्रम में निर्देशित किया गया कि उपायुक्त, पुलिस यातायात तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर संयुक्त रूप से मौका–मुआयना कर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु स्थल चिन्हित कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व पेश करें।

प्रस्ताव सं. 4 :– कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रशासन आयुक्तालय, जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट –
प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण गठित संयुक्त टीम द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– इस क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात (प्रशासन) जोधपुर, अधिशाषी अभियंता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जिला परिवहन अधिकारी (द्वितीय प्रवर्तन), जोधपुर, अधीशाषी अभियंता सा.नि.वि. जिला खण्ड (द्वितीय) तथा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड रा. उ.मा. जोधपुर की संयुक्त टीम का गठन किया हुआ है। उक्त गठित संयुक्त टीम द्वारा प्रत्येक प्राणघातक/गम्भीर किस्म की दुर्घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान के लिए घटना स्थल का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है तथा उक्त दुर्घटना स्थल के बारे में बताई गई कमियो को सम्बन्धित विभाग द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने आगामी बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया।

प्रस्ताव सं. 5 :– डी.बी. सिविल अवमानना चाचिका संख्या 371/2016 द्वारा श्री रवि लोढा बनाम मुख्य सचिव व अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 25.08.2020 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– पुलिस यातायात प्रशासन द्वारा सरदारपुरा बी व सी रोड़ पर नो–पार्किंग में खड़े होने वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत ई–चालान कार्यवाही हेतु सड़क के दोनो तरफ सी.सी.टी.वी. कैमरा निम्नलिखित 10 स्थलों पर लगवाये जाने का निवेदन किया गया :–

1. गोल बिल्डिंग, 2. गोरू स्वीट होम, 3. राणी जी का मंदिर, 4. कल्याण ज्वैलर्स, 5. अग्रवाल टॉवर, 6. जिप्सी रेस्टोरेन्ट, 7. मेहता भवन, 8. जोधपुर स्वीट्स, 9. ली–कूपर शोरूम एवं 10. शिव मंदिर, सी रोड़।

उक्त के क्रम में अध्यक्ष महोदय ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जोधपुर को उक्त स्थलों पर अभय कमाण्ड सेंटर के तहत सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने बाबत् प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।

<u>प्रस्ताव सं. 6</u> :– कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर से प्राप्त एजेण्डा नोट–

1. यातायात सुधार हेतु जनहित में गति सीमा के नये बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में ।
2. यातायात सुधार हेतु जनहित में ऑटो रिक्शा सवारी/लोडिंग टैक्सी व कार/जीप टैक्सी स्टेण्ड के बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में ।
3. यातायात सुधार हेतु जनहित में पार्किग स्थल पर नये बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में।
4. यातायात सुधर हेतु जनहित में पार्किग/नो–पार्किग के नये बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में ।
5. यातायात सुधार हेतु जनहित में नो–एन्ट्री स्थल पर नये बोर्ड लगाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय (बिन्दु सं. 1 से 5) :– पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर द्वारा जोधपुर के विभिन्न स्थलों पर यातायात नियमों एवं अन्य निर्देशों के संकेतक बोर्ड (लगभग 2890 बोर्ड) लगवाने के क्रम में अध्यक्ष महोदय ने निर्देशित किया कि उपायुक्त पुलिस, यातायात सम्पूर्ण सूची सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करवावें तथा सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किया गया कि जिस विभाग द्वारा जो सडक निर्मित की गई है एवं संधारण किया जा रहा है वही विभाग उक्त आशय के संकेतक बोर्ड अविलम्ब लगवाया जाना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व पेश करें। इसी क्रम में निर्देशित किया गया कि यदि पार्किंग/नो–पार्किंग स्थलों पर नियमों की अवहेलना की जाती है तो यातायात पुलिस एवं नगर निगम, जोधपुर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें।

6. यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 16.01.2020 की पालना के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– चौराहों/सर्किल के आकार एवं यातायात सुगमता की दृष्टिकोण से तकनीकी सुधार हेतुं एक समिति गठित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं –

1. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, जोधपुर
4. जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर
5. सहायक पुलिस आयुक्त यातायात, जोधपुर
6. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर

उक्त समिति को पूर्व निर्देशित किया गया था कि शहर क्षेत्र के समस्त चौराहो/सर्किल का मौका निरीक्षण एवं तकनीकी परीक्षण कर नवीन बनावट/नमूना नक्शा व समाधान सम्बन्धित संयुक्त विस्तृत रिपोर्ट 15 दिवस में सब कमेटी (T.C.B.) को पेश करें, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देशित किया कि आगामी 1 माह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। इसी के साथ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,

जोधपुर को सड़क सुरक्षा निधि से बजट प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर से मांग करने हेतु पाबन्द किया।

7. भगत की कोठी स्थित पेट्रोलियम डिपो के बाहर अवैध रूप से सडक के किनारे खडे रहने वाले गैस टैंकर से होने वाली सम्भावित दुर्घटना बाबत्।

निर्णय :– उक्त के सम्बन्ध में उपायुक्त, पुलिस यातायात को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थल पर अवैध रूप से खड़े रहने वाले टैंकरों पर नियमानुसार कार्यवाही करें तथा नगर निगम, जोधपुर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबंद करें तथा अवहेलना की स्थिति में कठोर कार्यवाही अमल में लावें।

8. **डिवाईडर कट को बन्द करवाने के सम्बन्ध में ।**

निर्णय :– जोधपुर शहर की यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर डिवाईडर के मध्य बने अवैध कट्स को बंद करवाने के क्रम में उपायुक्त पुलिस यातायात द्वारा निम्नांकित कट्स की सूची पेश की गई :–

- **टूटे हुए डिवाईडर –** 1. गोराधाय छतरी से पुरी तिराहा तक रैलिंग व डिवाईडर दोनों टूटे हुए है, 2. भट्टी की बावड़ी से आगे, 3. सर्किट हाऊस से एयरपोर्ट रोड़।
- **डिवाईडर कट जिन्हें बंद करवाना हैं –** 1. श्री कृष्णा मंदिर के सामने, महामंदिर, 2. रैगर हॉस्टल के सामने, खेतानाडी, 3. एच.एन. गैस सर्विस के पास, मण्डोर रोड़, 4. पहाड़गंज प्रथम के सामने, 5. गणेश होटल कामधेनू फर्नीचर के सामने, 6. चामुण्डा झटका मीट के सामने, बनाड़ रोड़, 7. अनन्त लुईस पब्लिक स्कूल के सामने, 8. जय श्री कृष्णा मार्बल के सामने, बनाड़ रोड़, 9. श्री करणी सोफा हाउस के सामने, बनाड़ रोड़ एवं 10. आई.टी.आई. मारवाड़ कॉलेज के सामने, बनाड़ रोड़।

उपरोक्त के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यातायात पुलिस आगामी बैठक से पूर्व इस आशय की रिपोर्ट पेश करें कि उक्त डिवाईडर किस समयावधि से अस्थायी रूप से बंद किये हुए है तथा उक्त के बंद करने से जन–सुविधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तत्पश्चात् सम्बन्धित विभाग उक्त डिवाईडर दुरूस्तीकरण तथा बंद करने का कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

9. ब्लैक स्पॉट स्थानों पर स्पीड ब्रेकर एवं संकेत बोर्ड लगाने बाबत् ।

निर्णय :– यातायात पुलिस द्वारा पेश सूची (11 स्थल) सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करवाते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त स्थलों का मौका–मुआयना कर दुर्घटना निवारण के सम्बन्ध में कार्यवाही कर विभागवार पालना रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें।

<u>प्रस्ताव सं. 7 :–प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जोधपुर द्वारा प्राप्त एजेण्डा बिन्दु –</u>

1. नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत नवीन बालसमन्द से चौपासनी (तिलवासनी फांटा राजीव गांधी थाना) तक मार्ग खोलने की स्वीकृति बाबत् ।

2. नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत नवीन न्यू हाईकोर्ट से मण्डोर उद्यान तक मार्ग खोलने की स्वीकृति बाबत् ।
3. नगरीय परिवहन सेवा के अन्तर्गत नवीन डालीबाई मन्दिर से मण्डोर उद्यान तक मार्ग खोलने की स्वीकृति बाबत् ।
4. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 25 सूरजबेरा से शोभावतों की ढाणी मार्ग मे वृद्धिकरण की स्वीकृति बाबत् ।
5. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 3/27 (भट्टी की बावडी से गांधी नगर) में वृद्धिकरण की स्वीकृति बाबत् ।
6. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग संख्या 4 (मगरा पूंजला माता का थान से 220 के.वी. विधुत मण्डल एवं मार्ग संख्या 4 ए (आंगणवा से 220 के.वी. विद्युत मण्डल) में कटोती, डाईवर्जन, सम्मिलितीकरण एवं वृद्धिकरण की स्वीकृति बाबत् ।
7. सिटी बस मार्ग संख्या 1ए गुरो का तालाब से आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कडवड तक वृद्धिकरण एवं कटौती करने की आगामी बैठक में स्वीकृति बाबत्।

निर्णय (बिन्दु संख्या 1 से 7) – नगरीय परिवहन सेवा के वृद्धिकरण/नवीन प्रस्ताव/विस्तार के सम्बन्ध में सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, पुलिस यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा संयुक्त रूप से सर्वे कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें ताकि जन–सुविधा की दृष्टिकोण से निर्णय लिया जा सकें।

8. जोधपुर शहर में ऑटोरिक्शा स्कोप निर्धारण करने के संबंध में दिये गये निर्देशों पर रिपोर्ट के संबंध में ।

निर्णय :– प्रकरण में सर्व–सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, पुलिस यातायात एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संयुक्त रूप से एसोसिएशन से वार्ता कर, उद्देश्यात्मक विश्लेषण करते हुए कारणों सहित व्याख्या कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें।

9. आखलिया चौराहे पर बरकत कॉलोनी मैन रोड के बाहर बने सिटी बस स्टेण्ड को अन्यत्र स्थानांतरित करने बाबत् ।

निर्णय :– प्रकरण में उपायुक्त, पुलिस यातायात एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया गया कि वें संयुक्त रूप से नगर निगम, जोधपुर के अधिकारियों के साथ मौका–मुआयना कर विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन एक माह में पेश करें।

10. बजट घोषणा 2020–21 अनुपालना में ट्रेफिक पार्क स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय :– बैठक में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने बजट घोषणा 2020–21 की पालना में ट्रेफिक पार्क स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत करवाया, जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदय ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया कि अशोक उद्यान, उम्मेद उद्यान अथवा उपयुक्त उद्यान का सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मौका–मुआयना कर उपयुक्तता को उल्लेखित करते हुए सम्बन्धित संस्था को निवेदन पत्र लिखें तथा पालना रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें।

11. ऑल राजस्थान निजी एम्बूलेन्स ड्राईवर यूनियन द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर में एम्बुलेन्स स्टेण्ड की अनुमति बाबत्।

निर्णय :– प्रकरण में अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त, पुलिस यातायात एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर को निर्देशित किया कि संयुक्त रूप से मौका–मुआयना कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें ताकि प्रकरण में युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जा सकें।

प्रस्ताव सं. 08 :– कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर द्वारा प्राप्त एजेण्डा नोट –

1. जोधपुर जिले के स्थानीय निकाय क्षेत्र में डीजल चलित ऑटो रिक्शा/टेम्पो के पंजीयन पर रोक एवं 15 वर्ष पुराने डीजल चलित समस्त व्यवसायिक वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना का प्रकाशन करवाने के सम्बन्ध में ।

   निर्णय :– प्रकरण में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर ने अवगत करवाया कि प्रकरण परिवहन विभाग से ही सम्बन्धित है तथा यातायात नियन्त्रण बोर्ड से सम्बन्धित नहीं है। अतः प्रकरण में इस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

2. नगरीय परिवहन सेवाओं के विस्तार बाबत् ।

   निर्णय :– प्रकरण में कालीबेरी से बनाड़ तक नगर निगम द्वारा संचालित बस संख्या 3 का विस्तार दईजर फांटा तक चाहा गया है, जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त, पुलिस यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा संयुक्त रूप से सर्वे कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करें ताकि जन–सुविधा की दृष्टिकोण से निर्णय लिया जा सकें।

प्रस्ताव संख्या 09 :– माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा प्राप्त एजेण्डा बिन्दु –

1. नगरीय परिवहन सेवा मार्ग में वृद्धिकरण नये मार्ग खोलने बाबत् व डाईवर्जन हेतु ।

   निर्णय :– प्रकरण में प्रस्ताव संख्या 7 (4) एवं 8 (2) के अनुसार निर्णय लिया जा चुका है।

प्रस्ताव सं.. 10 :– अन्य एजेण्डा नोट :–

1. धरोहर उच्च न्यायालय परिसर से नये उच्च न्यायालय भवन तक बी.आर.टी.सी. की लो–फ्लोर सिटी बस सेवा संचालित किये जाने बाबत् ।

   निर्णय :– प्रकरण में उक्त सेवा संचालित किये जाने हेतु प्रबन्धक, जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लि. को प्रकरण का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. Facilitation for creating CNG infrastructure in Barmer, Jaisalmer & Jodhpur.

   निर्णय :– प्रकरण में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है। समिति स्तर से कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है।

3. बी.आर.टी.एस. की रूट संख्या 03 अथवा रूट संख्या 06 में आंशिक परिवर्तन के क्रम में ।

   निर्णय :– प्रकरण में अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त, पुलिस यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा को संयुक्त रूप से सर्वे कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया।

4. जोधपुर में ऑटो रिक्शाओं के परमिट की संख्या का स्कोप बढाने के बारे में निवेदन । (ऑटो रिक्शा यूनियन)

निर्णय :— प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव संख्या 7 (8) के अनुसार निर्णय लिया जा चुका है।

5. आल राजस्थान निजी एम्बूलेन्स ड्राईवर यूनियन को पहला एम्बूलेन्स स्टेण्ड दिलवाने बाबत्।
निर्णय :— प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव संख्या 7 (11) के अनुसार निर्णय लिया जा चुका है।

6. आशापूर्णा नेनो मैक्स शिकारगढ/नैनो की ढाणी तक बस नं. 23 के संचालन के सम्बन्ध में।
निर्णय :— प्रकरण में अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त, पुलिस यातायात, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर तथा प्रबन्धक, जोधपुर नगरीय परिवहन सेवा को संयुक्त रूप से सर्वे कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्देशित किया।

7. Application for empanelment of the "Suggestion Committee" for traffic management.
निर्णय :— प्रकरण में अध्यक्ष महोदय ने उक्त संस्था को सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी करने का निर्देश प्रदत्त किया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

18/1/21

(हरमान मीणा (RAS))
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांकः— टीसीबी/ 2021/01-50 **दिनांकः—18/01/2021**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर
2. महापौर, जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण, जोधपुर।
3. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
4. पुलिस उपायुक्त—पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय एवं यातायात/पुलिस अधीक्षण—ग्रामीण, जोधपुर।
5. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर
8. महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
9. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता,जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर

13. वरिष्ठ प्रबंधक रिको, जोधपुर
14. अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी. (एन.एच.) जोधपुर
15. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
16. निदेशक–अभियांत्रिकी / आयोजना / वित / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उतर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यावाही विवरण का अंकन वेब–साईट पर करने तथा संबधित अधिकारियों को जरिये ई–मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है ।
21. श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
22. श्री राम नारायण बडगुर्जर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
23. श्री गणपत कुमार, डी..टी.ओ. जोधपुर
24. श्री हनुमान सिंह राठौड, एस. आर. ओ., कलेक्टर कार्यालय जोधपुर ।
25. श्री लाडूराम. विश्नोई, निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
26. श्री हिमांशी जीनगर, ए.ई.एन. (इलेक्ट्रीक) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
27. श्री रणछोड दास, अधिशाषी अभियन्ता, (इलेक्ट्रीक) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
28. श्री रोहित कुमार, उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
29. डा. श्री ललित कुमार, पी.आर.ओ., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
30. श्री नाथू सिंह भाटी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर ।
31. श्री ओ.पी. सिरवी, निदेशक वित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
32. श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
33. श्री ज़गदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
34. श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
35. श्री डी.के. मीणा, सी.ई. नगर निगम, जोधपुर ।
36. डी.सी. सोनी, अधिक्षण अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. जोधपुर ।
37. श्री राकेश कुमार, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
38. श्री रविन्द्र बोथरा, ए.सी.पी. (वेस्ट), पुलिस ।

18/1/21

(हरभान मीणा (RAS))
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

दिनांक 06 जनवरी 2021 को सायं 11.00 बजे श्री कमर उल जमान चौधरी आई..ए.एस. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति निम्न प्रकार है –

क्र. स.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री हरभान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2.	श्री राम नारायण बडगुर्जर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर

3.	श्री गणपत कुमार, डी..टी.ओ. जोधपुर
4.	श्री हनुमान सिंह राठौड, एस. आर. ओ., कलेक्टर कार्यालय जोधपुर
5.	श्री लाडूराम. विश्नोई, निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री हिमांशी जीनगर, ए.ई.एन. (इलेक्ट्रीक) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7.	श्री रणछोड दास, अधिशाषी अभियन्ता, (इलेक्ट्रीक) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
8.	श्री राकेश गहलोत, अधिशाषी अभियन्ता (विधुत), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री रोहित कुमार, उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
10.	डा. श्री ललित कुमार, पी.आर.ओ., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
11.	श्री नाथू सिंह भाटी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर ।
12.	श्री ओ.पी. सिरवी, निदेशक वित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
13.	श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
14.	श्री जगदीश कुमार, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
15.	श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
16.	श्री डी.के. मीणा, सी.ई. नगर निगम, जोधपुर ।
17.	श्री किशनलाल लढ्ढा, उप महापौर, नगर निगम, जोधपुर ।
18.	डी.सी. सोनी, अधिक्षण अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. जोधपुर
19.	श्री राकेश कुमार, उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20.	श्री रविन्द्र बोथरा, ए.सी.पी. (वेस्ट), पुलिस ।